

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ, जोधपुर

अपील संख्या :- 97 / 2024

प्रवीण कुमार

—अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये, शासन सचिव, पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, पशुपालन विभाग, निदेशालय, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, जोधपुर।
4. क्षेत्रीय कार्यालय, पशुपालन विभाग, जालौर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 04.03.2024

आदेश की दिनांक : 05.03.2024

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री जमताराम चौधरी, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री शैलेन्द्र सिंह राठौड़, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :- श्री लेखराज तोसावडा, सदस्य

श्री असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. प्रकरण की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4-ए के उपबंध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी का अभिकथन है कि अपीलार्थी ने दिनांक 10.08.2017 को राजकीय पशु चिकित्सालय, उपकेन्द्र धनोल तहसील रानीवाडा जिला सांचौर में पशुधन सहायक के पद पर कार्यग्रहण किया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2024 द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान राजकीय पशु चिकित्सालय, उपकेन्द्र, धनोल तहसील रानीवाडा जिला सांचौर से राजकीय पशु चिकित्सालय, उपकेन्द्र उम्मेदपुर, तहसील आहोर जिला जालौर कर दिया गया (अनुलग्नक-4) जोकि वर्तमान पदस्थापन स्थान से 130 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। संयुक्त निदेशक, पशु चिकित्सा विभाग जालौर द्वारा दिनांक 26.02.2024 को अपीलार्थी का कार्यमुक्ति आदेश जारी कर दिया गया (अनुलग्नक-5) जबकि अपीलार्थी द्वारा

संतोषपूर्ण सेवाएं सम्पादित की जाती रही हैं। अतः आलोच्य आदेश (अनुलग्नक-4) एवं (अनुलग्नक-5) अपास्त किये जावें।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की उक्त अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्रों के सम्बन्ध में बहस सुनी और पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।
4. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अधिकारों को त्यागते हुये यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किये जावें। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।
5. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए, अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा-निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 2 सप्ताह की अवधि में एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।
6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य